



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गाविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनांक 17.06.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 268/2022 धारा 279,337,338,427 भा0द0वि0 के आरोपी रोहित कुमार पुत्र स्व0 पटिदार निवासी कसहाई शोभा सिंह का पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(3).सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मान उपजिलाधिकारी मानिकपुर चित्रकूट के पत्र संख्या 873/एस0टी0एस0डी0एम0/मानिकपुर /2026 दिनांक 18 जून 2026 के अनुपालन के क्रम में थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के प्रांगण में खड्डे लावारिस 12 वाहनों की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 25.06.2026 को थाना मानिकपुर में जनपद चित्रकूट में नायब तहसीलदार /प्र0तहसीलदार ,मानिकपुर श्री दयाशंकर वर्मा के समक्ष होगी।सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म पंजीयन शुल्क कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट मानिकपुर चित्रकूट में विज्ञापि प्रकाशन तिथि से दिनांक 24.06.2025 तक जमा कर शर्तों के अनुसार सार्वजनिक नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(4).आज दिनांक 18.06.2026 को आगामी मोहर्रम पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता तथा उपजिलाधिकारी मानिकपुर श्री मो. जाशीम एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली की उपस्थिति में थाना मानिकपुर परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, धर्मगुरुओं, ताजियादारों, जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित लोगों से मोहर्रम पर्व को आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई तथा पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया गया। बैठक में बताया गया कि ताजिये की कुल ऊँचाई वाहन सहित 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही सभी जुलूसों के मार्गों का पूर्व निर्धारित कर लिया गया है, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों की समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया तथा उनके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने बताया कि मोहर्रम पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी तथा सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखी जाएगी। शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीस कमेटी की बैठक में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय, धर्मगुरु, क्षेत्र के संत्रांत नागरिक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5).आज दिनांक 18.06.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली की उपस्थिति में थाना मानिकपुर में सर्किल मऊ के थाना मऊ, थाना बरगढ़, थाना मानिकपुर, थाना मारकुण्डी के समस्त विवेचकों का अर्दली रूम किया गया। अर्दली रूम में वर्ष 2024,2025 एवं 2026 के लंबित विवेचनाओं, सभी अहकामात, E-साक्ष्य, E-summon, iRAD/Edar, वारंटी की गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्यवाही, यातायात प्रवर्तन की कार्यवाही, IGRS का निस्तारण व सफल जनसुनवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

अर्दली रुम के दौरान प्रभारी मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री मती रीता सिंह, थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री दीपक कुमार एवं अन्य समस्त विवेचक उपस्थित रहे।